फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

सोहन बनाम तहसीलदार मांडल

किस्म मुकदमा .... प्रा०पत्र .... न० ...113... सन 2018 ....

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तानील मे जारी हुए
3.4.18	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 22.5.18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
8.6.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प सीड़ियास मे पेश हुई वकील वादीगण एव पैरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार माण्डल द्वारा जवाबमय मौका रिर्पोट पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस की व जाहिर किया कि विपक्षी द्वारा भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का समर्थन किया गया। साथ ही मौका रिर्पोट मे भी प्रार्थी का मोके पर कब्जाकाश्त चला आ रहा है तथा मौके पर रास्ते के कोई रास्ते की आलाभाद नही है तथा प्रार्थीगण के ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का सीड़ियास तहसील माण्डल मे स्थित आराजी सं. 1200/1014 रकबा 11 बिस्वा भूमि वर्तमान मे प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज रिकार्ड है परन्तु प्रार्थीगण की उक्त आराजी सं. 1200/1014 वर्तमान नक्शे मे तरमीम नही है। परन्तु पटवारी फर्द नामान्तरण जिल्द मे उक्त आराजी सं. 1200/1014 का नक्शा ट्रेस चस्पा है। जिसको आराजी सं. 1014 मे उत्तर से दक्षिण आराजी सं. 634 से 646 तक आधी उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि की तरमीम की गई है जिसका रकबा 0.05 बिस्वा ही बनता है। अतः प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण की आराजी सं. 1200/1014 रकबा 11 बिस्वा भूमि के साबिक नम्बर 559 रकबा 13 बिस्वा थे। सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थीगण की साबिक आराजी सं० 559 रकबा 13 बिस्वा भूमि को सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा बिलानाम साबिक आ० न० 602 के साथ मिलाते हुए भूप्रबन्ध कर नवीन आ०न० 1014 रकबा 01 बीघा 0.02 बिस्वा कायम कर किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया गया जिस पर प्रार्थीगण द्वारा एक वाद पत्र राजस्व न्यायालय भीलवाड़ा मे पेश किया जो प्रकरण सं. 101/1992 पर दर्ज होकर प्रार्थीगण के पक्ष मे दिनांक 16.9.93 को डिक्री किया जाकर नवीन आ० न० 1014 रकबा 1 बीघा 0.02 बिस्वा मे से 11 बिस्वा भूमि जिसके आ०न० 1200/1014 है को प्रार्थीगण के नाम पर अंतकाल नं० 358 से खातेदारी रूप से दर्ज कर दी गई परन्तु वर्तमान प्रचलित नक्शे मे आराजी सं० 1200/1014 की तरमीम नही की गई जब कि प्रार्थीगण अपने स्वामित्व खातेदारी अधिकारो की आ० नं० 1200/1014 रकबा 11 बिस्वा भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा तात्कालिन पटवार हल्का सीडियास द्वारा नामान्तरण फर्द पर मनमकसुद तरीके से गलत तरमीम का नक्शा चस्पा किया है जिसका कोई औचित्य नही है और न ही उक्त नामान्तरण पर चस्पा नक्शा वर्तमान प्रचलित नक्शे मे तरमीम किया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की आराजी सं. 1200/1014 रकबा 11 बिस्वा भूमि को जिसके साबिक आ० न० 559 है को साबिक नक्शेनुसार नवीन प्रचलित नक्शे मे मूल आराजी सं. 1014 मे तरमीम किये जाने का आदेश फरमावे।	

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
मैने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्षो की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार मांडल द्वारा प्रस्तुत जवाब व मौका रिपोर्ट का एंव प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया तो जाहिर आया कि प्रार्थीगण की ग्राम गणेशपुरा, पटवार हल्का सीड़ियास तहसील- माण्डल जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी सं. 1200/1014 रकबा 11 बिस्वा भूमि जिसके साबिक आराजी नं. 559 रकबा 13 बिस्वा थे जो सेवनसे सेटलमेन्ट के दौरान रास्ते मे दर्ज किये गये थे व प्रार्थीगण द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा जारी डिक्री से उक्त आराजी सं. 1200/1014 रकबा 11 बिस्वा प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज रेकार्ड की गई परन्तु उक्त आराजी को पटवार हल्का द्वारा न्यायालय के निर्णय के बावजूद वर्तमान नक्शे मे तरमीम नही कर केवल मात्र नामान्तरण फर्द मनमकसूद तरीके से गलत नक्शा ट्रेस चस्पा किया जब कि तहसीलदार मांडल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की कब्जेशुदा आराजी पर रास्ते के कोई आलामात नही है तथा प्रार्थीगण साबिक नक्शे अनुसार ही काबिज काश्त कर चले आ रहे है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का सीड़ियास तहसील माण्डल मे स्थित आराजी सं. 1200/1014 रकबा 11 बिस्वा भूमि जिसके साबिक नं. 559 है को संलग्न साबिक नक्शे अनुसार व कब्जे अनुसार वर्तमान नक्शे मे तरमीम किये जावे। संलग्न साबिक नक्शे अनुसार	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	आराजी स॰ 1200/1014 को वर्तमान नक्शे मे तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार मांडल को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	